PEOPLE'S UNION FOR CIVIL LIBERTIES

270-A, Patparganj, Opp Anandlok Apartments, Mayur Vihar I, Delhi 110 091
Phone 22750014, 09868012986 PP FAX 4215 1459

Founder: Jayaprakash Narayan; **Founding President:** V M Tarkunde
President: K G Kannabiran; **General Secretary:** Pushkar Raj;
Vice-Presidents: (all names in alphabetic order)
Binayak Sen (Chhattisgarh); Mathew Manakattu (Kerala); Prabhakar Sinha (Bihar); Ravi Kiran Jain (Uttar Pradesh); Sudha Ramalingam (Ms) (Tamil Nadu & Pondicherry); Yogesh V Kamdar (Mumbai).
Secretaries: Ajit Jha, Kavita Srivastava (Ms).
Organising Secretaries: Chittaranjan Singh (Uttar Pradesh); Gautam Thaker (Gujarat); Himanshu Bourai (Ms) (Uttarakhand); Nishant Akhilesh (Jharkhand); P B D'Sa (Karnataka).
Treasurers: D Jagannathan (Delhi); SAA Pinto (Mumbai).
E-mail: puclnat@yahoo.com & puclnat@gmail.com
Please visit PUCL website at www.pucl.org

14 मई 2009 के लिये पी.यू.सी.एल. की अपील
डॉ. बिनायक सेन की रिहाई
एवं छत्तीसगढ़ में जनतांत्रिक अधिकार बहाल करने की मांग

14 मई 2009 को फर्ज़ी मामलों में डा. बिनायक सेन की गिरफ्तारी के दो साल पूरे हो जायेंगे. वह पीपुल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज़ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा जाने–माने शीशु रोग चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मानवाधिकारों के रक्षक हैं. डा. सेन दमनकारी छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, अवैध गतिविधि अधिनियम 2004 (संशोधित) एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, राजद्रोह तथा राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के झूठे आरोपों में दो साल से रायपुर जेल में कैद हैं.

विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक आंदोलनों के साथ मिलकर पी.यू.सी.एल. ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून 2005 और अवैध गतिविधि अधिनियम 2004 (संशोधित) के खिलाफ प्रतिरोध दर्शा कर इनको रद्द करने की मांग की है, और इन दमनात्मक कानूनों के तहत गिरफ्तार सभी बंदियों को रिहा करने की भी मांग की है, क्योंकि यह भारत के संविधान की भावना और अवधारणा का उल्लंघन करते हैं. छत्तीसगढ़ में इन दमनात्मक कानूनों के तहत लगभग 178 नागरिकों को निरुद्ध रखा गया है जिनमें व्यापारी, दर्ज़ी, पत्रकार, डाक्टर, समाजसेवी, मीडिया कर्मी, फिल्मकार, सांस्कृतिक कर्मी, किसान और खेतिहर मज़दूर शामिल हैं. इनमें पी.यू.सी.एल. की प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और फिल्मकार अजय टी.जी. भी शामिल हैं जिन्हें 5 मई 2008 को छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून 2005 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत इसलिये जमानत मिल गई क्योंकि राज्य ने 90 दिन के भीतर उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश नहीं की. आज एक साल पूरा होने के बाद भी अजय टी.जी. के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य ने कोई भी चार्जशीट पेश नहीं की है, जबकि बेवजह उन्हें समय–समय पर पुलिस थाना में हाजिर होना पड़ता है.

देश के सर्वाधिक गरीब और उपेक्षित लोगों की सेवा में लगभग 3 दशकों से लगे भारत के सर्वाधिक लोक–चेतन चिकित्सकों में एक डा. सेन की जिंदगी के मानो दो साल छीन लिये जाने की वर्षगांठ आ रही है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सलवा जुडूम के नाम पर दंतेवाड़ा के आदिवासियों के खिलाफ जारी युद्ध के विरुद्ध भी डा. सेन लगातार अपनी पुरजोर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं. इन दो सालों में डॉ. सेन वाकई देश में जनतांत्रिक अधिकारों और नागरिक आजादी की बहाली के संघर्ष के सार्वदेशिक प्रतीक बन गये हैं. उन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अंतःकरण का बंदी करार दिया है.

भारतीय जनतंत्र की शर्म के भी दो साल पूरे होने जा रहे हैं क्योंकि सत्ताधारियों ने डा. सेन जैसे व्यक्ति द्वारा अपने मानवाधिकार उल्लंघ के रिकार्ड की आलोचना मात्र से नाराज़ होकर उन्हें जेल में डाल रखा है. भारतीय न्याय व्यवस्था के लिये भी लज्जाजनक दो वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसने डा. सेन को सतही आधारों पर उस देश में जमानत से वंचित कर रखा है जहां सामूहिक हिंसा के गुनहगार न सिर्फ आज़ाद घूमते हैं बल्कि चुनाव लड़ते और सत्ता में आ जाते हैं.

वैसे परिस्थिति पूर्णतः निराशाजनक नहीं है क्योंकि इन दो सालों में भारत के अंदर व बाहर डा. सेन की रिहाई तथा छत्तीसगढ़ सरकार के अजतांत्रिक तौर-तरीकों के खात्मे के लिये अपूर्व नागरिक उभार दिखाई पड़ा है. नोबल पुरस्कार विजेताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, मानवाधिकार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मजदूरों, ग्रामीणों तथा व्यापक जनता ने डा. सेन के प्रति अन्याय- और उनके ज़रिये हम सबके प्रति अन्याय - के खिलाफ विशाल संघर्ष में पुरजोर शिरकत की हैं.

हमारे अधिकारों एवं आज़ादी बचाने के लिये संघर्ष की इस चेतना के अनुरुप सभी लोगों से हम पूरे विश्व में 14 मई 2009 को डा. सेन की गिरफ्तारी की दूसरी वर्षगांठ पर होने वाले विभिन्न विरोध कार्यक्रमों, जनसभाओं और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने की अपील करते हैं.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी 14 मई 2009 को एक विशाल रैली आयोजित कर सामूहिक गिरफ्तारी देने का कार्यक्रम है. आपको मालूम ही है कि पिछले 7 सप्ताहों से देश भर से कई संगठनों के लोग रायपुर सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत डा. सेन की रिहाई के लिये गिरफ्तारी देते रहे हैं.

हम पी.यू.सी.एल. की सभी प्रांतीय इकाईयों का आव्हान करते हैं कि वे इस दिन अपने-अपने प्रांत में विरोध प्रदर्शन आयोजित करें, और संभव हो तो रायपुर (छत्तीसगढ़) में आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल हों जिसमें पूरे देश से तमाम कार्यकर्ता शिरकत करेंगे.

हमें उम्मीद है कि 13 मई 2009 की शाम को डा. सेन के उत्पीड़न के खिलाफ गायकों, संगीतकारों, कवियों, रंगमंच कलाकारों और अन्य लोगों का एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें जनतांत्रिक मानकों एवं मूल्यों के पतन के खिलाफ कटिबद्ध जन प्रतिरोध का जश्न मनाया जायेगा. जो लोग इस कार्यक्रम के लिये आ सकते हैं और इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक अदायगियों के ज़रिये योगदान दे सकते हैं उनका इस कार्यक्रम के लिये हम एक बार फिर स्वागत करते हैं.

हम इस अवसर पर आप सभी से 13-14 मई 2009 को रायपुर आकर हमारे संवैधानिक जनतंत्र के एक मूलभूत मसले के प्रति एकजुटता दिखाने की अपील करते हैं.

रायपुर कार्यक्रम के विवरणों के लिये निम्नलिखित लोगों से संपर्क करें :-

1. राजेन्द्र सायल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पी.यू.सी.एल. (pucl.cg@gmail.com, 098268-04519)
2. कविता श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव, पी.यू.सी.एल. (kavisriv@gmail.com, 0935156965)
3. सुधा भारद्वाज, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, छ.ग. पी.यू.सी.एल. (advsudhacmm@yahoo.co.in, 09926603877)
4. गौतम बंदोपाध्याय, संयोजक, छ.ग. पी.यू.सी.एल. (gautamraipur@gmail.com, 098261-71304)
5. विजेन्द्र, सह-सचिव, छ.ग. पी.यू.सी.एल. (vijend@gmail.com, 09406049737)
6. सादिक अली, कोषाध्यक्ष, छ.ग. पी.यू.सी.एल. (094255-15411)

14 मई 2009 को देश व विदेश में हो रहे कार्यक्रमों की सूचना आपको www.binayaksen.net पर मिलेगी.

एकजुटता में

पुष्कर राज
(पी.यू.सी.एल. राष्ट्रीय महासचिव)

4 मई 2009